

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2024 — अश्विन 17, शक 1946

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक / 503 / एफ 3(2) / 48 / सं.का. / 2020 – छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क. 7 सन् 1973) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में, —

नियम 3 के उप-नियम (1-क) में, अंक तथा शब्द “10 रुपये” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “20 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम टोप्पो, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्रमांक/503/एफ 3(2)/48/सं.का./2020 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम टोप्पो, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 1st October 2024

NOTIFICATION

No. /503/F-3(2)/48/P.A./2020. - In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhinyam,1972 (No.7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rules, 1957, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (1-A) of rule 3, for the word and figure, "Rs. 10", Word and figure, "Rs. 20" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM TOPPO, Deputy Secretary.